राजस् थान उच् चन् यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय::-

ओमप्रकाश :बनाम : राजस् थानराज य

एकल पीठ फौजदारी अपील संख यः **21/2002**
विरूद्ध निर्ण य दिना ंक : 18.12.2001, जो स ेशन प्रकरण स ंख्या 21/2000 में विशिष्ठ न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण), भीलवाड़ा द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 28 नवम्बर, **2006**

-: उपि स् थत्-

माननीय न् यायाधिपति श्री कृष् णकुमार आचार्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एम.खाँ,
जन अभियोजक श्री एस.एन.तिवारी।

* * * * *

न् यायालय द्वारा:

यह अपील अपीलाण्ट ओमप्रकाश द्वारा विशिष्ठ न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण), भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 18.12.2001 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की जाकर जन अभियोजक को नोटिस दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से जो तथ्य सामने आए हैं, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 1.5.2000 को 12.10 ए.एम. पर एच.सी. गोपाल लाल द्वारा थाने पर टेलीफोन से सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेन्द्रसिंह, जो इंचार्ज थाना बताया गया है, को सूचना दी कि रोडवेज स्टेण्ड प्लेट फार्म पर ओमप्रकाश पुत्र बजरंग लाल सैनी, निवासी नवलगढ़, जिला झुंझुनू को रोक रखा है, जिसके पास मौजूद अटेची में अफीम की गन्ध आ रही है, अफीम होने की प्रबल सम्भावना है, कार्यवाही हेतु मौके पर आएं। उपरोक्त सूचना धारा 42(2) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एतद् पश्चात् जिसे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत मुर्तिब की जाकर पांचूराम, कांस्टेबल के साथ पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की गई और ज्ञानेन्द्र सिंह, एस.आई. मय स्टाफ के रोडवेज बस स्टेण्ड की ओर रवाना हुआ। बस स्टेण्ड पहुंचने पर ओमप्रकाश, जिसे पहले से ही गोपाल लाल मय जाब्ता घेरकर खड़े थे और उसके हाथ में अटेची थी और अफीम की गन्ध आ रही थी, धारा 50 (1) अधिनियम का नोटिस दिया जाकर उसकी स्वीकृति लेने के बाद अटेची की तलाशी ली गई तो अटेची में अफीम पाई गई जो तोलने पर करीब 6 किलो 900 ग्राम हुई, जिसमें से 50-50 ग्राम के दो नमूने निकाले गए। मौके पर अफीम व सैम्पल सीलबन्द किए गए। तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार किया व तफ्तीश हाजा की गई। माल वास्ते जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया गया व विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से अफीम होने पाया गया। बाद तफ्तीश अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 अधिनियम के तहत चार्जशीट पेश हुई। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 अधिनियम का आरोप लगाया जाकर सुनाया

समझाया गया व अन्वीक्षा की गई। अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 कैलाश, पी.ड.2 मदनलाल, पी.ड.3 गोपाल लाल, पी.ड.4 गोपाल सिंह, पी.ड.5 उमराव मोहम्मद, पी.ड.6 रूपकिशोर चतुर्वेदी, पी.ड.7 भगवतीलाल, पी.ड.8 वीरेन्द्र सिंह व पी.ड.9 ज्ञानेन्द्र सिंह के बयान कराए गए एव अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य समाप्त की। तत्पश्चात् अभियुक्त के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए। साक्ष्य सफाई में डी.ड.1 प्रहलाद सिंह के बयान लिए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन किया और अभियुक्त के कब्जे में अवैध अफीम होना पाई। अधीनस्थ न्यायालय में पहला प्रश्न यह उठा था कि क्या धारा 42(2) अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने पाया कि इस प्रकरण में धारा 42 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते, धारा 43 अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और धारा 42 अधिनियम की पालना करने की आवश्यकता थी भी तो उसकी पालना कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में दूसरा मुख्य तर्क यह उठाया गया था कि कोई भी स्वतंत्र मौतबीर अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करता और मात्र पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के बयान हैं और चाबी के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में विरोधाभास के बारे में भी बहस की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय अभियुक्त के इन तर्को को भी स्वीकार नहीं किया। अभियुक्त के कथन के बारे में भी विचार किया गया और बरीयत की साक्ष्य पर भी विचार किया और स्पष्टीकरण के बारे में भी विचार किया गया और झूठा होना पाया। बरीयत की साक्ष्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। सूत्र साक्ष्य के सम्बन्ध में भी

अधीनस्थ न्यायालय में बहस की गई थी, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया और उसे धारा 8/18 (बी) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधित अधिनियम,2001 के आरोप में दोषी पाया जाकर विभिन्न कारावास की सजाओं से दण्डित किया, जिसकी नाराजगी में यह अपील है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

इस अपील में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का प्रथम व मुख्य तर्क यही रहा कि इस प्रकरण में जब्ती जो की गई है, पी.ड.9 ज्ञानेन्द्र सिंह, जो मात्र सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से था और थाना सुभाष नगर, भीलवाड़ा का एस.एच.ओ. पद पर पदस्थापित नहीं था, उसने अपने पास में थाने का चार्ज मात्र होना बताया है, क्योंकि रूपकिशोर चतुर्वेदी बाहर गए हुए थे। इस प्रकार उनका तर्क है कि राज्य सरकार के द्वारा जो धारा 42 अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई है उसमें इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर पुलिस, जो बतौर भारसाधक अधिकारी थाने पर पदस्थापित हो, मात्र उन्हें ही मादक पदार्थो की तलाशी करने की शक्तियां प्राप्त है। उनका तर्क है कि रूपकिशोर भी साक्ष्य में पेश हुआ है, जो इसी थाना क्षेत्र में मौजूद था। उसका कथन है कि 1.5.2000 को 1.40 ए.एम. पर थाने पर पहुंचा और रोजनामचा में वापसी दर्ज की, मगर रोजनामचा वापसी की प्रति पेश नहीं की गई है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि तलाशी के समय वह थाने पर मौजूद नहीं हो। प्रदर्श पी.10 में ए से बी पृष्ठांकन डाला तब भी ज्ञानेन्द्र सिंह थाना

इंचार्ज नहीं था। प्रदर्श पी.10 उसके समक्ष पेश की तब ज्ञानेन्द्र सिंह इंचार्ज थाना नहीं था, उसकी अनुपस्थिति में वह थाना इंचार्ज होना बताता है। ज्ञानेन्द्र सिंह दिनांक 1.5.2000 को उसकी अनुपस्थिति में एच.एच.ओ. था, उसे वह एस.एच.ओ. की पोस्टिंग करके गया था। मगर एस.एच.ओ. की हैसियत से पोस्टिंग करके जाने का अधिकार उसे नहीं है। यह भी स्वीकार करता है कि ज्ञानेन्द्र सिंह की सुभाष नगर थाने पर एस.एच.ओ. के रूप में पोस्टिंग नहीं हुई। इस प्रकार उनका तर्क है कि मात्र इंचार्ज थाना रूपकिशोर चतुर्वेदी की अनुपस्थिति में होना बताया गया है जो एस.एच.ओ. के रूप में पदस्थापित होना नहीं माना जा सकता और इस आधार पर धारा 42 अधिनियम के तहत तलाशी लेने का अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में 2000(10) एस आर जे 169 (रॉय वी.डी. बनाम स्टेट ऑफ केरल), 2004 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 612 (भैरूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान), 2006(2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 1041 (राजू मुनिम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) एवं 2004 (3) आर.सी.सी. 1116 (जगदीश तेली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) पर आए विनिश्चय पेश किए।

इसके जवाब में योग्य जन अभियोजक का तर्क रहा कि जो अधिसूचना दिनांक 16.10.1986 को जारी की गई है उससे स्पष्ट है कि कोई भी इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर, जो थानाधिकारी की हैसियत से पदस्थापित हो, धारा 42 के तहत उन्हें शक्तियां प्राप्त है। यदि अन्य अधिकारी द्वारा, जो क्षेत्र का पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, उसके द्वारा तलाशी ली जाती है तो तलाशी के बाद वह अभियुक्त को और माल को सम्बन्धित इंस्पेक्टर या एस.एच.ओ.

को सौंप सकेगा यह परन्तुक में प्रावधान दिया गया है। चूंकि इस प्रकरण में अव्वल में ज्ञानेन्द्र सिंह इंचार्ज थाना था और परन्तुक की पालना में उसके द्वारा माल व मुल्जिम एस.एच.ओ. को संभला दिए गए हैं, इस प्रकार ज्ञानेन्द्र सिंह को धारा 42 अधिनियम के तहत तलाशी व बरामदगी का अधिकार था। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में 1999 (2) डब्ल्यू एल सी (राज.) 316 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कालूराम) विनिश्चय पेश किया।

मैंने उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार किया और साक्ष्य पर विचार किया। साक्ष्य पर जाने के पहले कानूनी स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। धारा 42 अधिनियम की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F-1(3)FD/EX/85-1, date 16.10.1986, जो राजस्थान राजपत्र एक्स्ट्रा, पार्ट IV-C (II), निम्न प्रकार है :

> "S.O.115.- In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No.61 of 1985) the State Government hereby authorise all Inspectors of Police and Sub Inspectors of police posted as Station House Officers to exercise the powers mentioned in Section 42 of the said Act with immediate effect.
>
> Provided that when power is exercised by Police Officer other than the Police Inspector of the area concerned such officer shall immediately had over the person arrested and articles seized to the concerned Police Inspector or S.H.O. of the Police Station concerned."

उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 42 अधिनियम के तहत शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा

सभी पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को अधिकृत किया है, जो एस.एच.ओ. के रूप में पदस्थापित हो।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय रॉय वी.डी. बनाम स्टेट ऑफ केरल (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 15 व 16 में निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "15. Now, it is plain that no officer other than an empowered officer can resort to Section 41(2) or exercise powers under Section 42(1) of the NDPS Act or make a complaint under clause (d) of sub-section (1) of section 36A of the NDPS Act. It follows that any collection of material, detention or arrest of a person or search of a building or conveyance or seizure effected by an officer not being an empowered officer or an authorised officer under Section 41(2) of the NDPS Act, lacks sanction of law and is inherently illegal and as such the same cannot form the basis of a proceeding in respect of offences under Chapter IV of the NDPS Act and use of such a material by the prosecution vitiates the trial.
>
> 16. To the same effect is the view expressed by this Court in State of Punjab v. Balbir Singh. In para 13 Jaychandra Reddy, J. speaking for the Court observed thus:
>
> > "Therefore, if an arrest or search contemplated under Sections 41 and 42 is made under a warrant issued by any other Magistrate or is made by any officer not empowered or authorised, it would per se be illegal and would affect the prosecution case and consequently vitiate the trial."

भैरूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) वाले प्रकरण में भी इस न्यायालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.10.1986 की व्याख्या की गई है

और धारा 42 अधिनियम के प्रावधानों को देखने के बाद इस न्यायालय द्वारा पैरा 10 , 11 व 12 में निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> "10. As already noticed Rameshwar Prasad (PW-9) was posted as SHO and while he proceeded to attend the meeting the charge of police station was handed over temporarily to praveen Vyas, Sub-Inspector, (PW-2), Rameshwar Prasad came back to the police station 7.30 p.m. As in evident from the cross-examination of Praveen Vyas, who deposed that as per report incorporated in rojnamcha No.168 Rameshwar Prasad came back to police Station at 7.30 p.m.
>
> 11. Thus the facts situation that emerges in the case is as under:-
>
> (i)Praveen Vyas (PW-2) was not posted as SHO in the Police Station and he was temporarily holding the charge of police station Chittorgarh from 5.30 p.m. Till 7.30 p.m. On 4.4.2001.
>
> (ii)Recovery memo of opium and motor cycle was drawn by Praveen Vyas at 8.00 p.m. Of 4.4.2001 after the charge of the Police Station Chittorgarh was resumed by Rameshwar Prasad SHO.
>
> 12. It hardly need be emphasised that Rameshwar Prasad, SHO, Police Station Chittorgarh was alone empowered to exercise powers u/s. 42. While enacting Sec. 42 of NDPS Act the Legislature put a complete ban on the authorities beyond one mentioned in the Section to carry out the functions under the Act. The legislature has clearly empowered the persons mentioned therein or who are authorised to do so by the notification."

इसी प्रकार राजू मुनिम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (उपरोक्त) वाले प्रकरण के पैरा 20 में निम्न सिद्धान्त दिया गया है :

"20. After considering the provisions of law in the context of submissions of the learned counsel for the appellant I consider the facts and evidence of the present case. There is no doubt that PW-7 Yashwant Singh was holding the post of Sub-Inspector at Police Station, Bhawanimandi whereas S.H.O at Police Station, Bhawanimandi was Pradeep Kumar (PW-8). However, it was explained that at the time when he received an information from the informer then the S.H.O. Had gone in connection with investigation of case No.366/1999 under Section 395 I.P.C. and Case No. 161/1999 under Section 397 I.P.C. The learned trial Court did not agree with the submissions of the learned counsel for the accused and agreed with the submissions of the learned Public Prosecutor that PW.7 Yashwant Singh was the In-charge of the Police Station at that particular time in absence of S.H.O. Pradeep Kumar, in view of Section 36 of the Cr.P.C. and it was merely an irregularity. I find that Section 36 Cr.P.C. is not applicable in the present case because Section 36 Cr.P.C. prescribes tht police officers, superior in rank to an officer in charge of Police Station, may exercise the same powers, throughout the local area to which they are appointed, as may be exercised by such officer within the limits of his station. As per Section 36 Cr.P.C. the police officers, who are superior in rank, may exercise the same powers of the in charge of the police station but in the present case PW-7 Yashwant Singh was not a superior officer than the S.H.O. Pradeep Kumar. Section 42 of the Act lays down that any such officer, who is empowered in this behalf by general or special order of the Central Government or a State Government, may enter into such search and seizure. The State Government has issued the Notification dated 16.10.1986 under Section 42 of the Act. The Public Prosecutor, appearing on behalf of the State of Rajasthan, has not shown any other Notification superseding to above referred Notification dated 16.10.1986, therefore search and seizure of contraband in the present case by unauthorised officer vitiates the trial of the case."

इसी प्रकार जगदीश तेली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) विनिश्चय में इस न्यायालय द्वारा पैरा 15 में अधिसूचना दिनांक 16.10.1986

को उद्धृत करते हुए पैरा 16 में निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "16. From the Notification quoted above, it stands clear that Inspectors of Police and Sub Inspectors of Police can exercise the powers under Section 42 of the NDPS Act only when they are posted as Station House Officer. In the case at had, PW 2 who alleged to have recorded the information and conducted search was at the relevant time posted as Sub Inspector in the office of Superintendent of Police and was not authorised to conduct search and seizure. Likewise, PW 1 Shiv Narayan, ASI was not the Station House Officer and hence he was also not the person empowered to exercise powers under Section 42 of the Act. Therefore, it must be concluded that both PW 1 Shiv Narayan, ASI and PW 2 Mahendra Singh, SI were not the officers authorised under Section 42 of the Act to record the information and conduct the search in view of the above referred Government Notification, which has resulted in vitiating trial against the appellant."

योग्य जन अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कालूराम (उपरोक्त) वाले प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा धारा 36 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की व्याख्या की गई है और धारा 42 अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जिन पुलिस अधिकारियों को तलाशी के लिए अधिकृत किया है, उस अधिसूचना की व्याख्या की है। थाने का प्रभारी अधिकारी, जो इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर स्तर के हैं, उन्हें ही तलाशी का अधिकार है। मगर उनसे उच्च स्तर के जो अधिकारी पुलिस विभाग के हैं उन्हें धारा 36 दं.प्र.सं. के तहत भी शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार उस प्रकरण में उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जो तलाशी ली गई थी वह सही पाई गई थी। उस प्रकरण के पैरा नम्बर 19 व 22 में सिद्धान्त दिया गया कि जो भी इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर थानाधिकारी की हैसियत से पदस्थापित हो उन्हें

धारा 42 अधिनियम के तहत तलाशी लेने की शक्तियां प्राप्त है। इस प्रकार यह विनिश्चय योग्य जन अभियोजक को कोई सहायता नहीं करता।

उपरोक्त कानून की स्थिति से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी, जो इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर रैंक का है और थानाधिकारी की हैसियत से पदस्थापित है, उसे ही धारा 42 अधिनियम के तहत तलाशी लेने की शक्तियां हैं। इस प्रकरण में देखना है कि क्या जो तलाशी ली गई वह सक्षम अधिकारी द्वारा ली गई अथवा नहीं।

पी.ड 9 ज्ञानेन्द्र सिंह का कथन है कि 1.5.2000 को वह थाना सुभाषनगर, भीलवाड़ा में इंचार्ज एस.एच.ओ. के पद पर उस दिन रेग्यूलर एस.एच.ओ. रूपकिशोर चतुर्वेदी के बाहर होने से एस.एच.ओ. का कार्य कर रहा था। 12.10 ए.एम. पर गोपाल लाल हेड कांस्टेबल ने टेलीफोन पर सूचना दी कि रोडवेज बस स्टेण्ड पर ओमप्रकाश को रोक रखा है, जिसके पास मौजूद अटेची में अफीम होने की संभावना है। इस पर उसने रोजनामचा प्रदर्श पी.18 में यह रिपोर्ट दर्ज की और इसकी प्रति एस.पी. को भिजवाई और 12.20 ए.एम. पर रोडवेज बस स्टेण्ड चौकी पर पहुंचे और वहां पर अभियुक्त की कथित रूप से तलाशी लेकर यह बरामदगी होने की साक्ष्य दी है। उसके बाद उसका यह भी कथन रहा कि मौके पर कार्यवाही होने के बाद जब थाने पर पहुंचे तब रेग्यूलर एस.एच.ओ. रूपकिशोर मौजूद मिले जिन्हें माल, सैंपल सीलचिट बंद हालत में मय कागजात, मय मुल्जिम के संभलाए। पर्चा कायमी मुकदमा भी रूपकिशोर चतुर्वेदी ने तैयार किया और एफ.आई.आर. रूपकिशोर चतुर्वेदी ने की जो प्रदर्श पी.11 है। थाने का चार्ज

रूपकिशोर चतुर्वेदी ने 11.30 पी.एम. पर 30.4.2000 को दिया था जो प्रदर्श पी.17 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में इसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी. 10 में रूपकिशोर चतुर्वेदी को जब्तशुदा आर्टिकल सौंपने का जिक्र नहीं है, मगर उसने सौंपे थे। उपरोक्त बयानो के साथ प्रदर्श पी.18 व पी.17 का अवलोकन करें। प्रदर्श पी.18 जो सूचना प्राप्त हुई वह ज्ञानेन्द्र सिंह ने कलमबन्द की उसकी नकल है। उसका कथन है कि इसके बाद वह मय गोपाल सिंह के प्राईवेट साधन से रोडवेज बस स्टेण्ड रवाना हुए और चार्ज थाना ए.एस.आई. नाहरसिंह को सौंपा गया। प्रदर्श पी.17 दिनांक 30.11.2000 को 11.30 पी.एम. का पर्चा है जिसमें यह दर्ज है कि रूपकिशोर चतुर्वेदी मय जीप सरकारी प्रकरण संख्या 195/2000 में माल व मुल्जिमान की खाना तलाशी हेतु गंगापुरा की तरफ रवाना हुआ। चार्ज थाना ज्ञानेन्द्र सिंह के जिम्मे किया। उसके बाद रात्रि को 12.10 ए.एम. पर यह सूचना प्रदर्श पी.18 दर्ज की गई है।

इसी प्रकार इसी बिन्दु पर रूपकिशोर चतुर्वेदी की साक्ष्य का अवलोकन करें। पी.ड.6 रूपकिशोर चतुर्वेदी का स्पष्ट कथन है कि 1.5.2000 को वह थाना सुभाष नगर, भीलवाड़ा में एस.एच.ओ. के पद पर तैनात था। उस रोज 2.15 ए.एम. पर पर्चा कायमी ज्ञानेन्द्र सिंह, सब-इंस्पेक्टर, जो उसकी अदम मौजूदगी में इंचार्ज थाना था, ने पेश किया साथ में आर्टिकल्स मार्क-ए, ए-1 व ए-2 फर्द जब्ती के कागजात व मुल्जिम को पेश किया। इस पर एफ.आई.आर. उसने दर्ज की जो प्रदर्श पी-11 है। जिरह में इसका कथन है कि दिनांक 1.5.2000 को 1.40 ए.एम. पर पुन: थाने पर पहुंचा था, रोजनामचा

वापसी की प्रति पत्रावली पर नहीं है, लेकिन रोजनामचे में वापसी दर्ज है। प्रदर्श पी.10 पर ए से बी पृष्ठांकन डाला तब ज्ञानेन्द्रसिंह इंचार्ज थाना नहीं था, यह इसने स्वीकार किया है। उसकी अनुपस्थिति में थाना इंचार्ज था। उसका कथन है कि 1.5.2000 को उसकी अनुपस्थिति में वह एस.एच.ओ. था, उसे वह एस.एच.ओ. की पोस्टिंग करके गया था। मगर यह भी इसने जिरह में स्वीकार किया कि ज्ञानेन्द्र सिंह की सुभाष नगर थाने में एस.एच.ओ. के रूप में पोस्टिंग नहीं थी। यह भी स्वीकार करता है कि ज्ञानेन्द्र सिंह ने माल थाने में उसकी उपस्थिति में जमा कराया था। प्रदर्श पी.10 में अटेची पेश होना भी नहीं लिखा है, मगर मालखाना में जमा होना स्वीकार किया है। उपरोक्त तमाम साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1.5.2000 को 1.40 ए.एम. पर वह थाने पर पहुंचा, उसने बयान दिया है, मगर इसकी रोजनामचा में वापसी के इन्द्राज को प्रमाणित नहीं कराया गया। 11.30 बजे रात्रि में इसका थाने से रवाना होना और करीब दो घण्टे की अवधि तक ही इसका बाहर रहना बताया गया है। बल्कि वास्तव में थाना सुभाष नगर का एस.एच.ओ. रूपकिशोर चतुर्वेदी ही था।

उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से जो स्थिति गुजरी है, इस प्रकार है कि रूपकिशोर चतुर्वेदी, एस.एच.ओ. दिनांक 30.4.2000 व 1.5.2000 को थाना सुभाष नगर, भीलवाड़ा में तैनात था। रात्रि 11.30 बजे प्रदर्श पी.17 के जरिए थाने से रवाना होना कहता है और ज्ञानेन्द्र सिंह के जिम्मे चार्ज किया बताता है। चार्ज जिम्मे करने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञानेन्द्र सिंह थाने का एस.एच.ओ. पोस्टेड हो। थाने का अस्थाई रूप से

चार्ज लिया जाना और थाने पर पोस्टेड होना, दोनों ही अलग-अलग हैं। एस.एच.ओ. 1.40 ए.एम. पर पुन: आना कहता है और थाने का चार्ज लेना कहता है, मगर तब उसने यह चार्ज पुन: ज्ञानेन्द्रसिंह से नहीं लिया, अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। 1.40 ए.एम. पर वापसी का रोजनामचा प्रमाणित नहीं करवाया, ताकि उसके बयानो की दस्तावेजी साक्ष्य से ताईद हो सके। प्रदर्श पी.10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पर्चा कायमी 1.5.2000 को 2.15 ए.एम. पर ज्ञानेन्द्र सिंह थाने पर पहुंचा तब पेश किया और उसके पूर्व ही एस.एच.ओ. सुभाषनगर थाने पर आ चुका था और 1.40 ए.एम. पर चार्ज ले चुका था। पर्चा कायमी रात्रि को 2.00 बजे तैयार किया गया है। मगर इसके विपरीत रेकर्ड से स्पष्ट होता है कि ज्ञानेन्द्र सिंह इंचार्ज थाना नहीं था, मगर उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब प्रदर्श पी.10 बनाया तब उसे मालूम था कि वह इंचार्ज पुलिस थाना सुभाष नगर है। इस प्रकार ज्ञानेन्द्र सिंह ने बतौर इंचार्ज थाने की हैसियत से प्रदर्श पी.10 बनाया, जो दो बजे रात्रि का है। जबकि रूपकिशोर चतुर्वेदी के अनुसार 1.40 ए.एम. पर ही वह थाने आकर चार्ज ले चुका था। हालांकि इसका असल रोजनामचा साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रदर्श पी.10 रात्रि दो बजे लिखने का जो पर्चा कायमी है, उस समय भी ज्ञानेन्द्र सिंह इंचार्ज थाना नहीं था, उसके पूर्व ही रूपकिशोर चतुर्वेदी ने थाने का चार्ज ले लिया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रदर्श पी.5 के अनुसार 1.45 ए.एम. पर की गई है और अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया उस समय भी ज्ञानेन्द्र सिंह थाना इंचार्ज नहीं था, उसके पूर्व ही चार्ज थाना सुभाष नगर के एस.एच.ओ. ने ले लिया था। बरामदगी में अवश्य समय अवश्य समय

12.30 बजे रात्रि का बताया गया है, मगर गिरफ्तारी रात्रि को 1.45 बजे बताई गई है, जबकि रात्रि 1.40 बजे रूपकिशोर चतुर्वेदी का थाने पर पुन: आ जाना बताया गया है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया उस समय भी ज्ञानेन्द्र सिंह कतई थाना इंचार्ज नहीं रहा था।

इस प्रकरण में एक स्थिति और स्पष्ट उभरती है कि अधिसूचना के अनुसार इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर, जो एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित हो, वे ही धारा 42 अधिनियम के तहत शक्तियां इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं। अस्थाई रूप से थाने का चार्ज अपने पास रखने वाले अधिकारी हो एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित अधिकारी नहीं माना जा सकता, न ही वह धारा 42 अधिनियम के तहत अधिसूचना के अनुसार शक्तियां ही इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे प्रकरण में यदि कोई सूचना सब-इंस्पेक्टर को मिलती है और एस.एच.ओ. यदि बाहर है और वह मात्र इंचार्ज ही बनाया गया है तो ऐसे में धारा 41 अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने से उच्च अधिकारी को इतिला करके तलाशी के बारे में अधिकार पत्र लिया जाना चाहिए था, उसके बाद ही कानूनन यह तलाशी ली जा सकती थी। पदस्थापित एस.एच.ओ. रूपकिशोर चतुर्वेदी ही था और ज्ञानेन्द्र सिंह के पास मात्र चार्ज होना बताया गया है। अन्य दृष्टिकोण से भी अवलोकन करें, यह भी स्पष्ट स्थिति बनती है कि प्रदर्श पी.18 के जरिए ज्ञानेन्द्र सिंह ने सूचना धारा 42 अधिनियम की दर्ज की और थाने का चार्ज नाहरसिंह को सौंपकर इंचार्ज थाना बनाकर वह तलाशी के लिए रवाना हुआ।

इस प्रकार 12.10 ए.एम. पर रात्रि में जब ज्ञानेन्द्र सिंह ने थाना छोड़ा तो थाने का इंचार्ज नाहरसिंह था। ज्ञानेन्द्रसिंह द्वारा जो तलाशी ली गई है वह इंचार्ज थाने की हैसियत से ली जाना नहीं मानी जा सकती। इस दृष्टि से भी क्योंकि इंचार्ज थाना उस समय नाहरसिंह था न कि ज्ञानेन्द्रसिंह। ज्ञानेन्द्रसिंह मात्र सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से ही मौके पर मौजूद था और उसके द्वारा तलाशी ली गई। इस प्रकार मात्र सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से तलाशी लेना कानून के लिए काफी नहीं है, उसका एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित होना भी आवश्यक है। यदि ज्ञानेन्द्र सिंह एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित होता तो थाने से बाहर जाने के बाद भी उसकी हैसियत एस.एच.ओ. की समाप्त नहीं होती। रूपकिशोर चतुर्वेदी यदि रात्रि 11.30 बजे थाने से बाहर जाना कहता है तो जब वह बाहर गया है तो भी उसकी थाना सुभाषनगर के एस.एच.ओ. की हैसियत थी, जो कभी समाप्त नहीं हुई। मगर सब-इंस्पेक्टर, जिसके पास अस्थाई रूप से चार्ज था, उसके थाने से बाहर निकलने के बाद उसकी हैसियत थानाधिकारी या एस.एच.ओ. की नहीं रहती।

उपरोक्त साक्ष्य का सभी दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि दिनांक 30.4.2000 व 1.5.2000 को रूपकिशोर चतुर्वेदी ही थाने के एस.एच.ओ. पद पर पदस्थापित था और उसके स्वयं के अनुसार रात्रि 11.30 बजे से लेकर 1.40 ए.एम. तक वह थाने से बाहर रहा और उस दौरान यह तमाम तलाशी व गिरफ्तारी आदि की तमाम कार्यवाही ज्ञानेन्द्रसिंह द्वारा की गई है, जो कि एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित नहीं था और सूचना मिली

तब तक इंचार्ज थाना होना बताया गया है। जब वह थाने से बाहर रवाना हुआ, प्रदर्श पी.18 के अनुसार तो उस समय थाने का चार्ज नाहरसिंह को दिया और नाहरसिंह अस्थाई रूप से थाने का इंचार्ज रात्रि 12.10 बजे हो गया था। इस प्रकार बतौर इंचार्ज थाना की हैसियत से उसके द्वारा तलाशी भी नहीं ली गई है क्योंकि रात्रि 12.10 बजे सूचना मिली तब वह अपने आपको अवश्य इंचार्ज थाना होना बताता है, हालांकि वह थाने पर बतौर पदस्थापित एस.एच.ओ. नहीं था और जब वह तलाशी के लिए थाने से रवाना हुआ तो थाने का इंचार्ज नाहरसिंह को बनाया और वह किसी भी सूरत में थाना इंचार्ज नहीं माना जा सकता और तलाशी के समय वह मात्र सब-इंस्पेक्टर था। इस प्रकार सभी दृष्टिकोण से इस प्रकरण का अवलोकन करें तो अधिसूचना एस.ओ.115, जो 16.10.1986 को जारी की गई है, धारा 42 अधिनियम के तहत शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए इंस्पेक्टर पुलिस या सब-इंस्पेक्टर पुलिस, जो एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित हो, को ही धारा 42 अधिनियम के तहत शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। परन्तुक में यह भी कहा गया है कि यदि सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी पुलिस अधिकारी द्वारा यदि कोई माल जब्त किया जाता है या अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, तो सम्बन्धित इंस्पेक्टर को या एस.एच.ओ. को माल सुपुर्द करेगा। मगर यह परन्तुक उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारी द्वारा यदि माल जब्त किया जाता है तब लागू होता है। ज्ञानेन्द्रसिंह भी इसी क्षेत्र का सब-इंस्पेक्टर था, जबकि वह एस.एच.ओ. नहीं था। इस प्रकार इस परन्तुक का कोई फायदा भी अभियोजन पक्ष को नहीं मिल सकता। इस

परन्तुक का फायदा उसी समय मिल सकता है जबकि उस क्षेत्र के सब-इंस्पेक्टर के अलावा अन्य अधिकारी द्वारा यदि माल जब्त किया जाता है उस हेतु ही परन्तुक का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के अधिकारी द्वारा माल की बरामदगी की जाती है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के एस.एच.ओ. को यह माल सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रकार इस परन्तुक से जो अधिसूचना में शक्तियां इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर, जो एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित हो, उन्हीं को इस्तेमाल करने का अधिकार है और यदि कोई इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर, जो एस.एच.ओ. के पद पर तैनात अवश्य है, मगर दूसरे क्षेत्र का है और यदि वह माल या अभियुक्त को बरामद करता है और गिरफ्तार करता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के एस.एच.ओ. या इंस्पेक्टर को माल जमा करवा देगा, ही परन्तुक है। यह परन्तुक अधिसूचना के प्रथम पैरा में दी गई शक्तियों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके आगे स्पष्ट करता है।

उपरोक्त तमाम विवेचन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, जो 1.5.2000 को थाना सुभाष नगर, भीलवाड़ा में एस.एच.ओ. के पद पर पदस्थापित नहीं था और उसके पास अस्थाई तौर पर अपने पास चार्ज होना बताया है, उसके द्वारा यह कार्यवाही की गई है। रूपकिशोर चतुर्वेदी एस.एच.ओ. पोस्टेड था और उसके अनुसार वह रात्रि 11.30 बजे सरकारी कार्य से बाहर गया था और 1.40 ए.एम. पर वापस लौटा। रात्रि 11.30 बजे वाले रोजनामचे को अवश्य प्रमाणित करवाया गया है, जो रवानगी

का रोजनामचा है, मगर वापस लौटने का रोजनामचा प्रमाणित नहीं करवाया गया है। इससे यह शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता कि 1.40 ए.एम. पर ही रूपकिशोर वापस थाने पर आया हो। प्रदर्श पी.10 पर्चा जब 2.15 ए.एम. पर उसके सामने प्रस्तुत हुआ, तब वह स्वयं थाने पर एस.एच.ओ. की हैसियत से मौजूद था। इस प्रकार रात्रि 11.30 बजे जाने के बाद वापस थाने पर कितने बजे पहुंचा इसकी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई है, मात्र जुबानी साक्ष्य ही रेकर्ड पर आई है। उस रोजनामचा के इन्द्राज को क्योंकर रोका गया, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, उसे प्रमाणित करने का प्रयास ही किया है। इस सम्बन्ध में उससे जिरह भी की गई है और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रोजनामचा की प्रति पत्रावली पर नहीं है, रोजनामचा में वापसी अवश्य दर्ज है। इस प्रकार रात्रि 12.30 बजे जब माल जब्त किया उस समय तक वह थाने में नहीं आया हो, यह भी शकमय हो जाता है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया उसके पूर्व वह थाने पर आ चुका था, यह भी रेकर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है। यह भी रेकर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि जब ज्ञानेन्द्रसिंह ने प्रदर्श पी.18 रोजनामचा में इन्द्राज करके तलाशी व चेकिंग के लिए रवाना हुआ, उसने प्रदर्श पी.18 के जरिए चार्ज नाहर सिंह को संभला दिया था और वह चेकिंग के समय इंचार्ज भी नहीं था। इन सभी दृष्टिकोण से प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि ज्ञानेन्द्रसिंह वक्त चेकिंग थाना सुभाष नगर, भीलवाडा का पोस्टेड एस.एच.ओ. नहीं था। उपरोक्त अधिसूचना से इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर, जो एस.एच.ओ. की हैसियत से पदस्थापित हों, उन्हें ही तलाशी व जब्ती की शक्तियां प्राप्त है, अन्य किसी अधिकारी को

नहीं। मात्र कुछ समय के लिए थाने का चार्ज होने से उसे एस.एच.ओ. पोस्टेड नहीं माना जा सकता क्योंकि ज्ञानेन्द्रसिंह जैसे ही थाने से बाहर गया उसका इंचार्ज थाना होने की हैसियत स्वत: ही समाप्त हो गई, जब उसने चार्ज नाहरसिंह को संभलाया, जो प्रदर्श पी.18 से ही स्पष्ट होता है। इस प्रकार उसके द्वारा मात्र सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से ही यह चेकिंग की गई है, एस.एच.ओ. के रूप में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर की हैसियत से उसके द्वारा कोई चेकिंग नहीं की गई, विशेष रूप से जबकि रूपकिशोर चतुर्वेदी उसी क्षेत्र में मौजूद था। रात्रि 11.30 बजे वह निकला है और वापसी का रोजनामचा उसने प्रमाणित नहीं करवाया, कितने बजे वह वापस आया। 1.40 ए.एम. पर आना अवश्य कहता है, मगर रोजनामचा के अभाव में यह न्यायालय यह मानने को सक्षम नहीं कि चेंकिंग की और अभियुक्त को गिरफ्तार किया तब तक उसने चार्ज वापस नहीं लिया हो। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उपरोक्त विनिश्चय, जो योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, यह तलाशी जो की गई है, सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय व इस न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय, जो योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, में आए सिद्धान्तों को देखते हुए, कोई भी तलाशी यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं ली जाती है तो यह तलाशी कानून अनुसार की जाना नहीं मानी जा सकती।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का इसके पश्चात् दूसरा तर्क यह रहा कि इस प्रकरण में तमाम सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई है। बरामदगी से लेकर

विधि विज्ञान प्रयोगशाला माल पहुंचा तब तक की तमाम सूत्र साक्ष्य पेश नहीं हुई है, इस आधार पर भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट भी अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती। इसके अलावा योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क रहा कि प्रदर्श पी.9 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भेजे गए नमूना अफीम के पॉलिथीन बैग पर कपड़े की थेली भी लगी हुई पाई गई, जबकि इस सम्बन्ध में उनके अनुसार प्रदर्श पी.3 फर्द जब्ती व अन्य साक्षीगण के बयानो में इसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क रहा कि 50 ग्राम का नमूना लिया गया था और एफ.एस.एल. में तोले गए नमूना अफीम का वजन 42.212 ग्राम ही नमूना वहां पहुंचा है। यह तोल किस प्रकार से कम हुआ इसका भी कोई आधार नहीं दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि उमराव मोहम्मद के अनुसार उसने 30.5.2000 को वीरेन्द्र सिंह को नमूना देना बताया है जबकि वीरेन्द्र सिंह का यह कथन है कि उसे 31.5.2000 को माल दिया। प्रदर्श पी.10-ए मालखाना रजिस्टर में 30.5.2000 को वीरेन्द्र सिंह को माल देना बताया गया है। इन सभी आधारों पर उनका तर्क रहा कि माल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचा तब तक की सूत्र साक्ष्य नहीं आई है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपने तर्क समर्थन में 2005 (1) एपेक्स क्रिमिनल जजमेण्ट्स 521 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुरमेल सिंह), 2005 (1) एपेक्स क्रिमिनल जजमेण्ट्स 240 (राजेश जगदम्बा अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ गोवा), 2000 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 549 (सुशील शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान), 1997 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 755 (कुलवन्त सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) एवं 1996 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 469

(भाखर राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) विनिश्चय पेश किए।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में भी ये बिन्दु उठाए गए थे और अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद तमाम सूत्र साक्ष्य तमाम सूत्र साक्ष्य प्रस्तुत कर दी गई थी इस प्रकरण में तमाम सूत्र साक्ष्य पेश होना माना है, तोल में कुछ फर्क होना माना है। माल का वजन घट बढ़ सकता है और वीरेन्द्र सिंह के बयान हैं, जो भी न्यायालय ने सही माने हैं। 31.5.2000 को ही उसे माल दिया गया है और 30.5.2000 का अंकन करना सहवन से ही होना प्रतीत हुआ है। इन सभी आधारों पर उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तमाम बिन्दु उठाए गए थे और अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही विवेचन किया है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का मेरे द्वारा आदर पूर्वक अवलोकन किया गया।

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुरमेल सिंह (उपरोक्त) वाले प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा की गई अपील में सूत्र साक्ष्य व सीलिंग के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त दिया है :

"In the first instance, though the seized articles are said to have been kept in the malkhana on 20th May, 1995, the

Malkhana register was not produced to prove that it was so kept in the malkhana till it was taken over by PW-6 on June 5, 1995. We further find that no sample of the seal was sent along with the sample to Excise Laboratory, Jodhpur for the purpose of comparing with the seal appearing on the sample bottles. Therefore, there is no evidence to prove satisfactorily that the seals found were in fact the same seals as were put on the sample bottles immediately after seizure of the contraband. These loopholes in the prosecution case have led the High Court to acquit the respondent."

इसी प्रकार राजेश जगदम्बा अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ गोवा (उपरोक्त) वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 व 15 में निम्न सिद्धान्त दिया गया है:

"14. We do not find it possible to uphold this finding of the High Court . The appellant was charged of having been found in possession of Charas weighing 180.70 gms. The charas recovered from him was packed and sealed in two envelopes. When the said envelopes were opened in the laboratory by Junior Scientific Officer, PW-1, he found the quantity to be different. While in one envelope the difference was only minimal, in the other the difference in weight was significant. The High Court itself found that it could not be described as a mere minor discrepancy. Learned counsel rightly submitted before us that the High Court was not justified in upholding the conviction of the appellant on the basis of what was recovered only from envelope 'A' ignoring the quantity of Charas found in envelope 'B'. This is be cause there was only one search and seizure, and whatever was recovered from the appellant was packed in two envelopes. The credibility of the recovery proceeding is considerably eroded if it is found that the quantity actually found by PW-1 was less than the quantity sealed and sent to him. As he rightly emphasized, the question was not how much was seized, but whether there was an actual seizure, and whether what was seized was really sent for chemical analysis to PW-1. The prosecution has not been able to explain this discrepancy and, therefore, it

renders the case of the prosecution doubtful.

> 15. This is not all. We find from the evidence of PW-4 that he had taken the seal from PSI Thorat and after preparing the seizure report, panchnama, etc. he carried both the packets to the police station and handed over the packets as well as the seal to Inspector Yadav. According to him on the next day, he took back the packets from the police station and sent them to PW-3, Manohar Joshi, Scientific Assistant in the Crime Branch, who forwarded the same to PW-1 for chemical analysis. In these circumstances, there is justification for the argument that since the seal as well as the packets were in the custody of the some person, there was every possibility of the seized substance being tampered with, and that is the only hypothesis on which the discrepancy in weight can be explained. The least that can be said in the facts of the case is that there is serious doubt about the truthfulness of the prosecution case."

इस न्यायालय द्वारा सुशील शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) वाले प्रकरण में सूत्र साक्ष्य के सम्बन्ध में व नमूनो के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल भेजा वह नहीं माने जाने के सम्बन्ध में पैरा 6 निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "6. ..... फर्द जप्ती अफीम (प्रदर्श पी.1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 30 ग्राम अफीम का अलग से नमूना सेम्पल निकालकर एक फोर स्कॉवायर सिगरेट के पैकेट में सफेद कपड़े की थैली में लिपेटकर रखा गया था जिस पर मार्क "ए" चिन्हित किया गया था व सील मोहर किया गया था, जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी.17) के अनुशीलन से स्पष्ट है कि सिगरेट पैकेट में से जो अफीम मिली निकली थी उसका भार मय पोलिथीन थैली के 26 ग्राम था, इसी प्रकार प्रदर्श पी-1 में यह कहीं अंकित नहीं है कि नमूने की 30 ग्राम अफीम पहले पोलिथीन की थैली में रखी गई थी उसके बाद सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर की गई थी जबकि प्रदर्श पी-17 में अंकित है कि जो पैकेट प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ था वह सफेद

कपड़े में लिपटा हुआ था जिस पर "ए" मार्क था तथा जो अफीम पोलीथीन की थैली में थी उसका भार 26 ग्राम था और वह सिगरेट के पैकेट में रखी हुई थी। उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रदर्श पी/1 द्वारा जो सेम्पल पैकेट 30 ग्राम का तैयार किया गया था तथा जिस पैकेट की विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच की गई थी उनमें भिन्नता है क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त हुए अफीम सैम्पल पैकेट का भार मय पोलीथीन थैली 26 ग्राम था जबकि प्रदर्श पी-1 द्वारा जो सेम्पल पैकेट तैयार किया गया था उसका भार 30 ग्राम था और उसे फोर स्कॉवायर सिगरेट के पैकेट में रखकर सफेद कपड़े की थैली में लिपेट कर रखा गया था, उक्त परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में संदेह होता है कि जो पैकेट अभियुक्त-अपीलान्ट से जप्त किया गया था वह पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त नहीं हुआ था वरन् किसी दूसरे पैकेट की ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई थी, अत: प्रदर्श पी/1 के आधार जिस सेम्पल पैकेट की जांच की गई थी उससे अभियुक्त/अपीलान्ट को नहीं जोड़ा जा सकता, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने सही तौर पर विवेचित नहीं किया है और अफीम के सेम्पल पैकेट, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा सील किया गया था के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि उसी पैकेट की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा की गई थी।"

इसी प्रकार इस न्यायालय के विनिश्चय कुलवन्त सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) वाले प्रकरण में पैरा 6 में निम्न सिद्धान्त दिया गया है :

"6. ..... So far as the difference in the weight of the samples is concerned, I am inclined to accept the contention of the learned Public Prosecutor but the categorical statement of Brij Lal (PW 4) can not be discarded which creates doubt about the factum of keeping the samples infact and sealed till these were entrusted to the Forensic Science Laboratory, Jaipur. There is material contradictions in this respect in the statements of Brij Lal (PW 4) and Sukhdeo Singh, SHO, Sadul Shahar (PW 10) which the prosecution has failed to reconcile. Brij Lal (PW 4) has clearly stated that he had taken the samples to S.P. Office for getting the seals compared and to get the forwarding letter issued from there for Forensic Science Laboratory, Jaipur. He has

> further stated in the cross-examination that no entry in this regard was made in the Malkhana Register. Therefore, it appears that the samples were taken out from Malkhana on 10.6.1993 also without any entry in the Malkhana Register by SHO, Sadul Shahar and the possibility of tampering with the seals and the samples can not be ruled out. The prosecution has failed to establish that the samples were not tampered with and the samples deposited in the Forensic Science Laboratory, Jaipur containing the contraband material, which is alleged to have been recovered from the appellant. In such state of affairs, I am of the view that the FSL report Ex.P/23 can not form a basis for the conviction of the appellant for the offence charged against him. I have perused the impugned judgment and I find that this aspect of the case has not been considered by the learned trial Judge. The prosecution has failed to prove the charge u/s. 8 r/w 18 NDPS Act against the appellant."

भाखरराम वगै. बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) वाले प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्य द्वारा यह बताया गया कि नमूना कांच की शीशीयों में पैक किया था, जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्लास्टिक के पात्र में मिला, इस आधार पर रिपोर्ट को सन्देहास्पद माना गया।

उपरोक्त सभी विनिश्चयों में आए सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की साक्ष्य पर आएं। जब्ती अधिकारी पी.ड.9 ज्ञानेन्द्र सिंह ने सीलिंग के सम्बन्ध में जो साक्ष्य दी है कि अभियुक्त के कब्जे से 6 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद हुई जिसमें से 50-50 ग्राम के दो नमूने तम्बाकू की डिब्बियों में वास्ते जांच हेतु निकाल कर कपड़े की थैली में सीलचिट बंद कर मार्क ए.1 व ए.2 किया गया। बाकी बची अफीम उसी पोलिथीन थैली में

रहने दिये जाकर अटेची में थेले में डालकर कपड़े की थैली में बंद कर सीलचिट बंद किया जाकर मार्क ए लगाया गया। इन पर नमूना सील एक्स स्थान पर लगाई गई। मौके पर नमूना सील बनाई, जो प्रदर्श पी.4 है, जिस पर उसके व गवाहों के हस्ताक्षर है। उसके बाद थाने पर पहुंचे जहां रेग्यूलर एस.एच.ओ. रूपकिशोर चतुर्वेदी मौजूद मिले जिन्हें माल व सैंपल सीलचिट बंद हालत में मय कागजात व मुल्जिम के संभलाए। उन्होंने माल एवं सैंपल को री-सीलिंग किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.8 बनाई। री-सीलिंग की नमूना सील की फर्द बनाई जो प्रदर्श पी.9 है। यह आर्टिकल 1 से 4 न्यायालय में भी पेश हुए, जिसके बारे में इसने बयान दिया है। जिरह में इसने स्वीकार किया कि आर्टिकल 1 से 4 पर री-सीलिंग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। आर्टिकल 1 पर दो जगह चपडी की सील टूटी हुई है और आर्टिकल 1 पर ऊपरी भाग पर सिलाई हाथ से की हुई है और इसके दोनों तरफ मशीन से सिलाई होकर थैली बनी हुई है। जिरह में यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.3 फर्द जब्ती में नमूने तम्बाकू के डिब्बों में निकालने की बात अंकित नहीं है। जिरह में इसने यह भी स्वीकार किया कि सैम्पल का वजन गोपाल लाल, हेड कांस्टेबल ने किया था और उसने सैम्पल स्वयं ने निकाले। पहले सैम्पल निकालकर प्लास्टिक के रेपर में डाले, फिर तम्बाकू के खाली डिब्बे में डाले। तोल प्लास्टिक के रेपर में सैम्पल अफीम डालकर किया, डिब्बे सहित तोल नहीं किया था। फिर डिब्बे में डालकर ऊपर कपड़े की थैली में सीलचिट बंद किया। डिब्बे के अन्दर कपड़े की थैली नहीं डाली थी। बैलेन्स वाली तुला से तोल किया था। मगर प्रदर्श पी.3 फर्द जब्ती में सैम्पल प्लास्टिक के रेपर में निकालने वाली

बात लिखी हुई नहीं है। यह भी स्वीकार करता है कि इस पर थाना सुभाष नगर की सील लगाई थी जो मौके पर काम में ली गई थी जो और भी मुकदमो में काम में ली जाती है। यह भी स्वीकार करता है कि मूल ब्रास सील और नमूना सील की फर्दे मौतबीरों को मौके पर नहीं दी गई। डिब्बी टीन टाईप के धातु की थी जो आमतौर पर तम्बाकू के पैक में मिलती है, जिसमें सैम्पल रखवाया था। जब्तशुदा आर्टिकल रूपकिशोर चतुर्वेदी को सौंपे। इस बात से इनकार करता है कि आर्टिकल 1 से 3 बिना सीलचिट बन्द हालत में जमा करवाए हों इस वजह से प्रदर्श पी.10 के ए से बी भाग में उनके सीलचिट बंदशुदा हालत में जमा कराए जाने का जिक्र न हो। मगर यह स्वीकार करता है कि यह सीलचिट बन्द हालत में रूपकिशोर चतुर्वेदी को सुपुर्द किए जाने का जिक्र प्रदर्श पी.10 के ए से बी भाग में नहीं है। रूपकिशोर चतुर्वेदी द्वारा इनको री-सील करने का जिक्र है।

उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि मौके पर इस गवाह द्वारा 50-50 ग्राम के दो सैम्पल निकाले गए, जो पहले प्लास्टिक की थैली में लिए, उसके सहित तोल किया, फिर उसको टीन के डिब्बे में डाला और ऊपर कपड़े की थैली लगाई और उसके बाद उसके ऊपर सीलिंग की गई और गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए। थाने की सील से सील किया गया। यह अवश्य है कि सीलबन्द हालत में रूपकिशोर को दिए हों यह बाद प्रदर्श पी.10 के ए से बी हिस्से में नहीं लिखी, मगर री-सीलिंग के सम्बन्ध में अवश्य लिखा गया है। न्यायालय में जो आर्टिकल 1 प्राप्त हुआ उसकी सील टूटी हुई पाई गई है और ऊपर हाथ से ही सिलाई की हुई पाई गई है।

उपरोक्त साक्ष्य के बाद रूपकिशोर चतुर्वेदी (पी.ड.6) के बयानो का अवलोकन करें, जिसे माल सौंपा गया। उसका कथन है कि 1.5.2000 को वह एस.एच.ओ., थाना सुभाषनगर के पद पर तैनात था। 2.15 ए.एम. पर ज्ञानेन्द्रसिंह ने उसे आर्टिकल ए, ए.1 व ए.2 प्रस्तुत किए और उसकी जब्ती के कागजात, नमूना सील मय अभियुक्त पेश किया। उसने आर्टिकल्स पर अपनी सील से री-सीलिंग की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.8 है और फिर उसने आर्टिकल्स जो उसे सौंपे, सीलचिट बंद दुरूस्त हालत में मालखाना में जमा करवाए। नमूना सील का पर्चा प्रदर्श पी.9 है। आर्टिकल सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजने के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजे, जो पत्र प्रदर्श पी.14 है, जिसके साथ सैम्पल ए.1 व ए.2 सीलचिट बन्द हालत में जिसमें से सैम्पल ए.1 कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह के साथ भेजा गया, जो 31.5.2000 को भेजा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो अग्रेषण पत्र भेजा उसकी प्रति प्राप्त हुई, जो प्रदर्श पी.15 है जिस पर भी उसका पृष्ठांकन है और हस्ताक्षर है। वीरेन्द्र सिंह ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल जमा कराकर रसीद पेश की जो प्रदर्श पी.16 है, जिस पर भी उसका पृष्ठांकन है। माल उसने मालखाना में जमा कराया था, मगर उसका वजन नहीं किया था और जो भी दस्तावेज प्रदर्श पी.10 के जरिए पेश हुए उस पर पृष्ठांकन भी नहीं किया। प्रदर्श पी.10 रिपोर्ट पेश हुई जब अटेची पेश होना लिखा हुआ नहीं है, मगर अटेची मालखाना में जमा हुई है। मालखाना में उसकी चाबिया जमा नहीं हुई थी क्योंकि ताले टूटे हुए थे। प्रदर्श पी.10 के ए से बी भाग में किस कंटेनर में माल एवं सैम्पल बन्द थे, अंकित नहीं है। इस बात से इनकार करता है कि आर्टिकल ए, ए.1 व ए.2 उसके सामने खुले हुए

पेश हुए हों। प्रदर्श पी.10 के ए से बी भाग में आर्टिकल ए, ए.1 व ए.2 सीलचिट बंद होना लिखा हुआ नहीं है। सील का इम्प्रेशन मालखाना रजिस्टर में किया या नहीं यह वह नहीं बता सकता।

उपरोक्त साक्ष्य से यही स्थिति स्पष्ट होती है कि ज्ञानेन्द्रसिंह द्वारा उसे आर्टिकल ए, ए.1 व ए.2 मय कागजात प्रदर्श पी.10 रिपोर्ट के साथ पेश किए, मगर सीलचिट बन्द हालत में हो, इसका हवाला फर्द में नहीं आया और यह माल उसने मालखाना में जमा कराया, जिसका तोल नहीं किया गया। इसके पश्चात् वीरेन्द्र सिंह कांस्टेबल के साथ 31.5.2000 को माल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भिजवाया गया, जो सैम्पल ए.1 था। इसके द्वारा स्वयं की सील से माल सीलबन्द करना व मालखाना में रखना भी बताया है, जिसकी भी अलग से फर्द बनाई गई।

उपरोक्त साक्ष्य के बाद मालखाना इंचार्ज पी.ड.5 उमराव मोहम्मद का बयान देंखे। उसका कथन है कि 1.5.2000 को वह मालखाना इंचार्ज था। सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ने इस प्रकरण से सम्बन्धित आर्टिकल्स ए पैकेट सीलचिट बंद जिसमें 6 किलो 800 ग्राम अफीम व दो पैकेट ए.1 व ए.2 पेश किए व जामा तलाशी का सामान, एक अटेची खाली पेश किए, जो उसने मालखाना रजिस्टर में अंकित की। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.10 है। 30.5.2000 को कांस्टेबल वीरेन्द्रसिंह के साथ सीलचिट बन्द हालत में सैम्पल आर्टिकल ए.1 मय कागजात देकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय रवाना किया, जिसका इन्द्राज सी से डी है,

जिस पर ई से एफ वीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं और जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। जब तक माल उसके पास रहा, सीलबन्द हालत में रहा। इस प्रकार इस गवाह के अनुसार 1.5.2000 से लेकर 30.5.2000 तक माल उसके पास सीलबन्द हालत में रहा था और रजिस्टर में इन्द्राज किया और 30.5.2000 को वीरेन्द्रसिंह को उसने माल सौंपा, मगर यह माल रूपकिशोर चतुर्वेदी ने मालखाना में जमा कराया हो, इसके बयानो से असत्य हो जाता है। यह माल ज्ञानेन्द्र सिंह ने ही लाकर उसके पास जमा कराया था, मगर उसके कोई भी हस्ताक्षर मालखाना रजिस्टर में नहीं करवाए। आर्टिकल ए.1 व ए.2 एस.एच.ओ. की सील से सीलबन्द थे। एस.एच.ओ. की थाने की जनरल सील नहीं होकर अलग सील है। उस सील का कोई विवरण इसमें अंकित नहीं किया। इस बात से इनकार करता है कि सी से डी इन्द्राज 3.6.2000 को लिखा हो। जी से एच भाग में 3.6.2000 लिखा हुआ है जिसके ऊपर उसके हस्ताक्षर है, जो उसने अपने हस्ताक्षर बाद में किए। ये हस्ताक्षर उसने चालान पेश किया तब तक नहीं किए थे। सी से डी पृष्ठांकन के नीचे वीरेन्द्रसिंह के दस्तखत भी नहीं कराए और ओ से पी भाग लगातार लिखा हुआ है। इस बात से इनकार करता है कि सी से डी पृष्ठांकन आर्टिकल जमा कराने के बाद रसीद प्राप्त करने के बाद लिखा हो। प्रदर्श पी.10 के अवलोकन से यही पाया जाता है कि यह माल वीरेन्द्रसिंह के साथ 30.5.2000 को ही भेजा उस समय इसका इन्द्राज नहीं किया गया, जबकि माल जमा कराया गया उसके बाद ही इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में मालखाना इंचार्ज का यह कथन कि वीरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर कराकर 30.5.2000 को माल दिया, यह कथन उसका रेकर्ड से ही

असत्य हो जाता है। जब रसीद लेकर वापस आया तब 3.6.2000 को यह इन्द्राज किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार जिरह में वीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर मालखाना रजिस्टर में कराकर 30.5.2000 को माल भेजा गया हो, यह मालखाना रजिस्टर को पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता, मगर इसने जिरह में स्वीकार किया कि जी से एच भाग में 3.6.2000 लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसके हस्ताक्षर हैं। ये दस्तखत उसने बाद में किए, यह भी स्वीकार करता है।

उपरोक्त साक्ष्य के बाद अब वीरेन्द्र सिंह (पी.ड.8) के बयानो का अवलोकन करें। उसका कथन है कि 31.5.2000 को थाना सुभाष नगर, भीलवाड़ा में तैनात था। 31.5.2000 को मालखाना इंचार्ज उमराव मोहम्मद ने उसे एक एफ.एस.एल. में देने के लिए सीलचिट बंद पैकेट उसे दिया। उसके साथ कागजात भी थे। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी.14 है। वह कागजात लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा गया, वहां जाकर उसने माल व कागजात भगवती लाल को दिए। फिर प्रदर्श पी.15 अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर माल व कागजात उसे दिए जो जयपुर जाकर उसने 1.6.2000 को एफ.एस.एल. में जमा कराए और रसीद प्रदर्श पी.16 लेकर आया। उसके पास जब तक माल रहा, सीलबन्द हालत में रहा। इस बात से इनकार करता है कि उसे माल 30.5.2000 को दिया गया हो। प्रदर्श पी.10 की फोटो प्रति प्रदर्श पी.10 ए पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार करता है। यह माल उसे 30.5.2000 को दिया हुआ सी से डी भाग

में लिखा हुआ है, मगर वास्तव में उसे ये सेम्पल दिनांक 31.5.2000 को दिया गया था। दिनांक 30 को काटकर 31 करने की कांट-छांट उसके सामने नहीं हुई न ही उसने कांट-छांट की। उसने तो 31 को ही माल प्राप्त किया था और 31 तारीख को इस मुकदमे के अलावा अन्य तीन मुकदमो का भी सैम्पल लेकर गया था। न्यायालय द्वारा भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें उसने कहा कि वह असल मालखाना रजिस्टर व रोजनामचा रजिस्टर लेकर आया है। रोजनामचा दिनांक 31.5.2000 में समय 2 पी.एम. पर प्रदर्श पी.20 के माध्यम से उसकी रवानगी हुई है और प्रदर्श पी.20 में कुल 6 मुकदमो का माल लेकर वह गया था। आर्टिकल्स पर क्या-क्या मार्के लगे हुए थे उसे ध्यान नहीं है।

उपरोक्त गवाह के बयानो से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी.10 की फोटो प्रति पर उसके हस्ताक्षर अवश्य हैं, मगर इसका कथन है कि 30 तारीख को उसे कोई माल नहीं मिला, 31 तारीख को ही उसे माल मिला था। जबकि मालखाना इंचार्ज का यह कथन है यह माल 30.5.2000 को ही वीरेन्द्र सिंह को संभला दिया था। प्रदर्श पी.14 एस.एच.ओ. थाना सुभाषनगर, भीलवाड़ा का लिखा हुआ अग्रेषण पत्र है जो भी 31.5.2000 का लिखा हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त तमाम साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि माल अव्वल में रूपकिशोर चतुर्वेदी ने मालखाना में जमा कराया या ज्ञानेन्द्र सिंह ने कराया। इस सम्बन्ध में दोनों साक्ष्य में विरोधाभास आए हैं। 30 तारीख को माल वीरेन्द्र सिंह को देने की साक्ष्य

मालखाना इंचार्ज के द्वारा दी गई है, जबकि 30 तारीख को कोई भी माल वीरेन्द्र सिंह को नहीं मिला। इस प्रकार 30 व 31.5.2000 के बीच में माल कहां व किस हालत में रहा, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं आई है।

पी.ड.7 भगवती लाल, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में केमिकल शाखा में कार्यरतद्य था, पेश हुआ है। उसका कथन है कि 31.5.2000 को सुभाष नगर थाना का कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह उसके पास माल लेकर आया, फिर उसने अग्रेषण पत्र तैयार कर माल उसे संभलाया। इस प्रकार भगवती लाल भी 31 तारीख को ही माल लाना कहता है और 30 व 31 तारीख के बीच माल किस हालत में किसके पास रहा इसकी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई है।

उपरोक्त साक्ष्य के साथ गोपाल लाल (पी.ड.3) के बयान देंखे। उसका यह कथन है कि वह तराजू बांट लेकर आया और थैलियों सहित अफीम का वजन किया जो 6 किलो 900 ग्राम हुआ, उसमें से 50-50 ग्राम के दो सैम्पल निकाले। वे थैलियों में रखकर सीलचिट बंद कर मार्क ए.1 व ए.2 दिया गया बाकी बची हुई अफीम को उन्हीं थैलियों में रहने दिया गया, जो मार्क ए है। जिरह में इसने स्वीकार किया कि तोल भी उसी ने किया था और सैम्पल भी उसी ने निकाले थे। इस बात को इनकार करता है कि उसने सैम्पल थैलियों में नहीं निकाले हों और डिब्बियों में ही निकाले हों। सैम्पल की थैलियां पोलिथीन की थी। माल व सैम्पल को सीलचिट बंद थानाधिकारी ने ही किया। पहले सैम्पल प्लास्टिक की थैली में निकाले, फिर कपड़े की थैली में निकालकर फिर सीलचिट बंद किया। इस बात से इनकार करता है कि सैम्पल को लोहे की डिब्बी में निकाले हों। इस प्रकार पी.ड.3 गोपाल लाल,

जो कांस्टेबल था और ज्ञानेन्द्रसिंह के साथ था, उसके विपरीत साक्ष्य देता है। ज्ञानेन्द्र सिंह का यह कथन है कि पहले सैम्पल प्लास्टिक के रेपर पर लेकर तोले और उन्हें फिर टीन के डिब्बे में डालकर बन्द किया और उसके ऊपर कपड़े की थैली लगाई और सीलबन्द की। जबकि इस गवाह का कथन है कि सैम्पल की थैलियां पोलिथीन की थी। पहले सैम्पल प्लास्टिक की थैली में निकाले, फिर कपड़े की थैली में निकालकर सीलचिट बंद किया। लोहे की डिब्बी में कोई भी सैम्पल नहीं निकाले गए, इसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

उपरोक्त साक्ष्य को देखने से स्पष्ट होता है कि मौके पर जो ज्ञानेन्द्र सिंह ने सील लगाई वह थाना सुभाषनगर की थी, जिसकी सील का नमूना प्रदर्श पी.4 दर्ज है। थाने पर आने के बाद री-सीलिंग की फर्द में "राजस्थान पुलिस" और बीच में "आर.के." लिखा हुआ है। प्रदर्श पी.14 के साथ जो कागजात भेजे, पर्चा कायमी, एफ.आई.आर, फर्द नोटिस सहमति, फर्द बरामदगी, फर्द गिरफ्तारी, फर्द री-सीलिंग, फर्द नमूना सील व नक्शा मौका भेजने का हवाला है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जो कागजात प्रदर्श पी.15 के जरिए भेजे गए, उसमें एफ.आई.आर., फर्द जब्ती, मूल अग्रेषण पत्र व नमूना सील भेजने का हवाला आया है।

उपरोक्त साक्ष्य के साथ एफ.एस.एल. रिपोर्ट का अवलोकन करें, तो यह पाया जाता है कि इसमें अंकित है "It contained dark brown coloured semi solid sticky substance having characteristics smell enclosed in polythene bag which was enclosed in inner cloth bag altogether packed in metallic tin

container. The substance weighed 42.212 gms alongwith polythene bag." इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया जाता है कि जो माल उन्हें मिला वह मेटेलीक टीन के कंटेनर में एक कपड़े की थैली में एक प्लास्टिक बैग था जिसमें अफीम भेजी गई थी जो 42.212 ग्राम हुई। रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि 50 ग्राम सैम्पल लिया गया था, तो 42.212 ग्राम कैसे रहा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। विशेष रूप से जबकि माल को प्लास्टिक की थैली में और कपड़े की थैली व टीन के डिब्बे में डालकर सीलबन्द किया गया हो तो माल का वजन किस आधार पर घटा इसका स्पष्टीकरण रेकर्ड पर नहीं है। ज्ञानेन्द्र सिंह, जिसके द्वारा माल जब्त किया गया, उसने कपड़े की थैली में कोई माल डालने का बयान ही नहीं करता। ज्ञानेन्द्रसिंह का तो स्पष्ट कथन है कि उसने माल प्लास्टिक के रेपर पर डाला और तम्बाकू की खाली डिब्बी में डाला गया और डिब्बी में डालने के बाद ऊपर कपड़े की थैली बांधी गई। डिब्बी के अन्दर कोई कपड़े की थैली नहीं डाली गई, कपड़े की थैली बाहर ही थी। इस प्रकार टीन के अन्दर कपड़े की थैली में प्लास्टिक का बैग डालने का तथ्य जो प्रदर्श पी.19 विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में आया है, स्वयं ज्ञानेन्द्र सिंह के बयानो से विरोधाभासी हो जाता है और कांस्टेबल गोपाल लाल का यह कथन है कि पहले सैम्पल प्लास्टिक की थैली में निकाला, उसके बाद में उसे निकाल कर कपड़े की थैली में सीलचिट बंद किया। इस बात से वह कतई इनकार करता है कि सैम्पल लोहे की डिब्बी में डाला गया हो। सैम्पल उसके स्वयं के द्वारा निकालना कहता है। सीलचिट बंद थानाधिकारी द्वारा करना कहता है। इस बात से इनकार करता है कि

कंटेनर या पैकेट बदल दिया गया हो।

उपरोक्त तमाम साक्ष्य के अवलोकन से पी.ड.3 गोपाल लाल का यह कथन है कि सैम्पल पहले प्लास्टिक की थैली में निकाला, फिर उन्हें कपड़े की थैली में निकालकर सीलचिट बंद किए गए। लोहे की डिब्बी में कोई भी सैम्पल नहीं निकाला गया। इसके विपरीत ज्ञानेन्द्र सिंह, जिसके द्वारा माल जब्त किया गया, डिब्बी के अन्दर कोई भी कपड़े की थैली नहीं डाली गई। प्लास्टिक के रेपर पर ही सैम्पल निकाला गया और उसे डिब्बी में डाला गया और उसे कपड़े की थैली से बन्द किया गया। इस प्रकार मौके पर जब्त करने वाले अधिकारी और सैम्पल निकालने वाले गवाह दोनों के बयानो में इस सम्बन्ध में भारी विरोधाभास है। जब गोपाल लाल के अनुसार लोहे की डिब्बी में सैम्पल नहीं निकाला गया, एफ.एस.एल. में लोहे की डिब्बी में माल पाया गया है। ज्ञानेन्द्रसिंह के द्वारा लोहे के कंटेनर में कोई भी कपड़े की थैली नहीं डाली गई, बाहर से ही सीलबन्द किया गया। यह कथन भी उसका असत्य हो जाता है क्योंकि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में प्लास्टिक का बैग कपड़े की थैली में पाया गया है। ये सभी लोहे के टीन के कंटेनर में बंद थे। इस प्रकार मौके पर निकाले गए सैम्पल ही एफ.एस.एल. पहुंचे हों, यह उपरोक्त तमाम साक्ष्य से शकमय हो जाता है और खास तौर पर 50 ग्राम सैम्पल निकालना कहा गया है और 42.212 ग्राम ही एफ.एस.एल. पहुंचा। यह तोल की कमी ऐसी नहीं है जो मात्र एक-दो ग्राम ही हो, करीब आठ ग्राम की कमी पाई गई है।

इन सभी साक्ष्य के साथ अब प्रदर्श पी.10 के सम्बन्ध में जो गवाह

ज्ञानेन्द्रसिंह से (पी.ड.9) से जिरह हुई है, का अवलोकन करें। इससे स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि प्रदर्श पी.10 जब पेश की गई तो सीलचिट बंद हालत में माल एस.एच.ओ. को सौंपा हो, ए से बी भाग में दर्ज नहीं है। मौके पर जो माल सील बंद किया गया वह सील किसी को भी नहीं संभलाई न मालखाना में जमा कराना पाया जाता है। वह थाने की सील थाने में ही रही है। इसी प्रकार वीरेन्द्रसिंह के द्वारा जो रूपसिंह की सील से जो उसकी व्यक्तिगत सील थी, जो उसी के पास रही है और माल भी उन्हीं के थाने में बन्द रहा है, इस प्रकार मौके पर की गई सील और रूपकिशोर की व्यक्तिगत सील जब किसी को नहीं संभलाई गई और उन्हीं के पास रही है न उसे नष्ट करने की साक्ष्य रेकर्ड पर आई है न मालखाना में जमा कराने की साक्ष्य रेकर्ड पर आई है तो इस प्रकार की सील, जो स्वयं एस.एच.ओ. के पास और थाने में रहती है, माल को कभी भी पुन: सीलबन्द किया जा सकता है और माल बदला जा सकता है, इस बारे में शक की पूर्ण गुंजाईश रहती है। मौके पर जिस प्रकार से माल सील किया गया जो प्लास्टिक की थैली में डालकर लोहे के कंटेनर में डालकर ऊपर कपड़े से बन्द करना जो ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया, इसके विपरीत बयान गोपाल लाल गवाह ने दिए और कोई भी लोहे की डिब्बी में माल नहीं डाला गया, कपड़े की थैली में ही माल अन्तिम रूप से डाला गया है। पहले प्लास्टिक की थैली में निकाला गया। इस प्रकार मौके पर जिस प्रकार से माल सीलबन्द किया गया था उसी हालत में एफ.एस.एल. पहुंचना नहीं पाया जाता और न ही उसी तोल का माल एफ.एस.एल. पहुंचना पाया जाता है। यह कमी किस प्रकार से आई, इसका कोई भी स्पष्टीकरण रेकर्ड पर नहीं मिला। माननीय उच्चतम न्यायालय व

उच्च न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय, जो मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें तथ्य हालांकि अलग-अलग थे, मगर यह स्थिति स्पष्ट थी कि माल का वजन कम पाया गया, माल किस तरह से सीलबन्द किया गया और किन हालत में एफ.एस.एल. पहुंचा उनमें जिस प्रकार से विरोधाभास पाए गए थे, इस प्रकरण में भी इसी प्रकार के भारी विरोधाभास माल सीलबन्द करते समय जो हालत थी और जो माल एफ.एस.एल. पहुंचा तब तक हालत रही, भारी विरोधाभास एफ.एस.एल. रिपोर्ट और साक्ष्य में पाया गया है और माल कब भिजवाया गया, इसके सम्बन्ध में जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, 30.5.2000 से 31.5.2000 तक माल किसके कब्जे में रहा, इसकी कोई सूत्र साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। 30 तारीख को माल भिजवाने का तथ्य बिलकुल ही असत्य हो जाता है। 31.5.2000 को ही माल भिजवाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में ये बिन्दु उठाए गए थे, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गहराई से इन बिन्दुओं को देखने का प्रयाय नहीं किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का जिस प्रकार से मूल्यांकन किया गया है, उससे मैं सहमति नहीं रखता। अधीनस्थ न्यायालय ने 30.5.2000 व 31.5.2000 में जो गलती पाई गई है उसे मात्र सरसरी तौर पर ही गलत होना पाया है। सीलिंग में आई कमियां भी और माल जिस हालत में एफ.एस.एल. पहुंचा इस सम्बन्ध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य को गहराई से देखने का प्रयास नहीं किया, प्रतीत होता है।

इस प्रकार उपरोक्त तमाम विवेचन से, मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट

के इस तर्क से सहमति रखता हूं कि प्रकरण में माल बरामद हुआ तब जिन सीलों से माल को मौके पर सीलबन्द करना बताया गया है और री-सीलिंग करना बताया गया है, उनकी सील किसी व्यक्ति को नहीं दी गई न ही उसे नष्ट ही किया गया और वह थाने में ही रही है, जिनका दुरूपयोग कभी भी किया जा सकता है, इससे नहीं नकारा जा सकता। साथ ही मौके पर माल जिस प्रकार से सीलबन्द करना बताया गया है, इसकी साक्ष्य में भारी विरोधाभास आए हैं और रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट से भी इस सम्बन्ध में विरोधाभास आए हैं। माल जितनी मात्रा में भेजा गया, उसकी मात्रा में भी विरोधाभास आए हैं, साथ ही मालखाना से माल किस तारीख को निकला उस सम्बन्ध में भी विरोधाभास हैं, जैसाकि ऊपर विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए माल, जो अभियुक्त से बरामद किया गया, उसी के सैम्पल निकाले गए हों और उसी के सैम्पल जो निकाले गए वे सैम्पल सही हालत में एफ.एस.एल. पहुंचे हों, इसकी तमाम सूत्र साक्ष्य नहीं आई है, जिससे कि प्रकरण को शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जा सके। इस आधार पर भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का अन्तिम तर्क यह रहा कि इस प्रकरण में अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से अफीम की बरामदगी 6.900 कि.ग्रा. सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि स्वतंत्र मौतबीर अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करते और ज्ञानेन्द्रसिंह, गोपाल लाल व गोपाल सिंह के सशपथ बयानो में विरोधाभास हैं और अभियुक्त के द्वारा

धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में स्पष्टीकरण दिया गया और जो बरीयत दी गई उसे अधीनस्थ न्यायालय ने बरीयत की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया है और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि प्रहलाद सिंह, जो जन सेवक है और बस का कंडक्टर है, उसे बरीयत में पेश किया गया था, जिसका कथन है कि सवा छः बजे शाम को रोडवेज फाटक के पास बस को रोका और बस की तलाशी ली और बस के ऊपरी वाली सीट पर एक अटेची मिली। बस में से 5-6 व्यक्तियों को पुलिस ने नीचे उतारा जिसमें एक मुल्जिम हाजिर अदालत भी था। अटेची के ताला लगा हुआ था जो पुलिस ने तोड़ा और अटेची को खोली थी। प्रदर्श डी.3 वे-बिल भी उसने पेश किया। इस प्रकार उनका तर्क है कि 1.5.2000 की रात्रि को 12.30 बजे तलाशी लेने का तथ्य बिल्कुल असत्य है। अभियुक्त को पहचानने के बारे में उसने बताया कि लम्बी यात्रा का टिकट लिया था इस आधार पर पहचाना है। अन्य यात्रियों को नहीं पहचानने के बारे में उसका बयान अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रदर्श डी.4 टिकट, जो काटा वह भी उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार रात्रि में अभियुक्त को बस स्टेण्ड पर गोपाल लाल ने रोके रखा था और उसके बाद ज्ञानेन्द्रसिंह को सूचना देकर बुलाया और उसके बाद तलाशी ली गई, जो कथन बताया गया है, वह कतई असत्य है। शाम को 6.15 बजे 31.5.2000 को पुलिस ने रोक लिया था और अटेची बस में बरामद हुई है न कि अभियुक्त के पास से, अतः अभियुक्त के विरूद्ध बरामदगी शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया है।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अभियुक्त के द्वारा जो बयान दिया गया है वह बाद में सोचा हुआ है और तुरन्त यह कथन न्यायालय में नहीं बताए न किसी को मारपीट की शिकायत की है और प्रहलाद सिंह के बयानो को अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं पाया और पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के बयानो के आधार पर बरामदगी प्रमाणित पाई है। 30.4.2000 की शाम को बस से उतारने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय ने सही नहीं पाया है और उसके जो कारण लिखे हैं, साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया है। अत: अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने इस सम्बन्ध में विचार किया। यह सही है कि इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पी.ड.1 कैलाश व पी.ड.2 मदनलाल अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करते और उनके स्पष्ट बयान है कि पुलिस ने उनके सामने कुछ नहीं पकड़ा। पुलिस ने मात्र उनके दस्तखत कराए थे। इन परिस्थितियों में पी.ड.3 गोपाल लाल, पी.ड.4 गोपाल सिंह और पी.ड.9 ज्ञानेन्द्रसिंह के ही बयान रहते हैं, जो पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी गवाह हैं। चौकी पर ज्ञानेन्द्रसिंह ने नहीं रोका है, हैडकांस्टेबल गोपाल लाल व अन्य पुलिस कर्मचारी मुल्जिम को घेरे हुए खड़े थे और उसके हाथ में अटेची पकड़ी हुई थी। जैसी कि ऊपर साक्ष्य सीलिंग के सम्बन्ध में देखी गई है, ज्ञानेन्द्रसिंह के अनुसार गोपाल लाल ने माल तोला था और सैम्पल उसके स्वयं के द्वारा निकाले गए थे और रेपर में डालकर तम्बाकू की खाली डिब्बी में डाले गए और फिर

कपड़े से सीलबन्द किए गए थे। डिब्बी के अन्दर कपड़े की थैली नहीं थी, उसने स्वीकार किया है। यह भी ज्ञानेन्द्रसिंह ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त के पास अटेची की कोई चाबी नहीं मिली थी। इसके बाद यह माल ले जाकर रूपकिशोर चतुर्वेदी को संभलाया है, जिसके द्वारा माल जमा कराना बताया गया है। जबकि वीरेन्द्रसिंह ने यह माल ज्ञानेन्द्रसिंह ने जमा कराना बताया है। जिरह में इस सम्बन्ध में पूछा है कि अभियुक्त के पास कोई अटेची नहीं मिली हो और अभियुक्त के पास जो यात्री टिकट था वो फाड़कर फेंक दिया गया हो। यह भी इससे जिरह की गई है कि अटेची लावारिश मिली हो और अभियुक्त को बाद में झूंठा फंसाया गया हो। इससे यह भी पूछा गया कि आर्टिकल 4 अटेची बस में लावारिस हालत में मिली हो और उसे इस मुकदमे में झूंठा फंसाया गया हो, इससे जिरह की गई है। इस प्रकार अभियुक्त का यह स्पष्ट कथन रहा था कि बस से उसे जबरदस्ती उतारा, उसके साथ गाली गलोच की, उसके पास कोई अटेची नहीं थी। गोपाल लाल से उसकी बोलचाल हो गई थी इस कारण उसे झूंठा फंसाया है। उसके साथ मारपीट भी की गई, करण्ट भी लगाए गए। वह बस से निम्बाहेडा से नवलगढ़ जा रहा था जब उसे पुलिस वालों ने उतारा था और उसके पास कोई अटेची नहीं थी।

पी.ड.3 गोपाल लाल के बयान, जिसने बस स्टेण्ड पर निगरानी के समय इसको रोका, के बयानों का अवलोकन करें। उसका कथन है कि 12.05 ए.एम. पर चौकी के सामने एक व्यक्ति मिला, जिसके हाथ में सूटकेस था जिसमें अफीम की गन्ध आ रही थी। उसने कैलाश शर्मा व मदनलाल

के समक्ष उस व्यक्ति को रोका, जो दोनों मौतबीर हैं और अभियोजन की ताईद नहीं करते, और सूचना ज्ञानेन्द्रसिंह को दी। फिर ज्ञानेन्द्रसिंह मय एल.सी. गोपालसिंह के 12.20 ए.एम. पर मौके पर आए। अभियुक्त ने अपना नाम ओमप्रकाश बताया और लोहागढ़ वाली ढ़ाणी नवलगढ़, जिला झुंझुनू का रहने वाला बताया। उसके बाद यह तलाशी करने पर यह अफीम बरामद होना बताई। जिरह में इसका कथन है कि अटेची के ताला लगा हुआ था जो मौके पर उसके सामने थानाधिकारी ने ही ताला खोला था। कोई चाबी जामा तलाशी में मिली हो तो उसे याद नहीं। मगर चाबी अभियुक्त के पास नहीं मिली, यह बात स्वीकार करता है। इस प्रकार अटेची की चाबी नहीं होना एक बहुत बड़ी परिस्थिति है जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है। अटेची के ताला लगा होना गवाह गोपाल लाल स्वीकार करता है, जबकि ज्ञानेन्द्रसिंह ने स्पष्ट रूप से इनकारी की है कि अटेची का ताला तोड़कर उसे खोला गया हो। इस प्रकार अटेची के ताला लगा होना और अटेची का ताला तोड़ना गोपाल लाल गवाह बयान करता है और अभियुक्त के पास कोई चाबी नहीं मिली, यह भी स्वीकार करता है। जबकि अटेची के किसी प्रकार का कोई ताला लगा हुआ नहीं था और न ही ताला तोड़ा, ज्ञानेन्द्रसिंह ने अपने बयानो में बताया है।

प्रदर्श पी.3 फर्द बरामदगी अफीम का भी अवलोकन करें। उसमें भी अटेची खोलने पर अटेची में अफीम मिलने के सम्बन्ध में बताया गया है। अटेची किस प्रकार से खोली गई, ताला था या नहीं था, इसके बारे में कोई भी तथ्य प्रदर्श पी.3 फर्द बरामदगी में नहीं बताया गया है। जबकि गोपाल

लाल, जिसने इस अभियुक्त को मौके पर रोकना बताया है, अटेची का ताला स्वयं मुल्जिम ने नहीं खोला, बयान दिया है। अटेची का ताला स्वयं थानाधिकारी ने खोला, स्पष्ट रूप से बयान दिया है। मगर उसे यह याद नहीं है कि केंटीन से संडासी मंगाकर अटेची का ताला खोला गया हो। मौके पर वह स्वयं था और उसके सामने थानाधिकारी ने ताला खोला था, यह स्पष्ट बयान है। अटेची की चाबी मुल्जिम के पास नहीं मिली, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इसी प्रकार गोपाल लाल के बयानो में और प्रदर्श डी.1 फर्द सूचना जो लिखी गई, उसमें भी भारी मतभेद आया है। गोपाल लाल का यह कहना है कि उसने जिस व्यक्ति को रोका, जिसके पास अफीम की गन्ध आ रही थी, उसने टेलीफोन पर उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया न उसका कोई नाम पता नहीं पूछा, तब तक नाम पता नहीं पूछा था। मगर प्रदर्श डी.1 पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोपाल लाल ने रोडवेज चौकी, भीलवाड़ा से थानाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह को सूचना दी कि प्लेट फार्म बस स्टेण्ड पर ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल सैनी माली, निवासी नवलगढ़, जिला झुंझुनू को रोके रखा है। इस प्रकार प्रदर्श डी.1 के ए से बी हिस्से में और गोपाल लाल के बयानो में भारी विरोधाभास हैं। थानाधिकारी के आने के बाद ही नाम पता पूछा गया हो, यह बात प्रदर्श डी.1 से स्वयं गोपाललाल की बात असत्य हो जाती है और अटेची के ताला लगा हुआ था या नहीं और थानेदार ने ताला खोला हो, इस सम्बन्ध में इसके बयान और ज्ञानेन्द्रसिंह के बयानो में भारी विरोधाभास है। सैम्पल निकालने और सैम्पल सील करने के सम्बन्ध में भी इस गवाह के बयानों और ज्ञानेन्द्रसिंह के बयानो में भारी विरोधाभास आए हैं, जिनका ऊपर विस्तृत में विवेचन

किया जा चुका है। इसका स्पष्ट कथन है कि लोहे की डिब्बी में सैम्पल नहीं निकाले, प्लास्टिक की थैली में सैम्पल निकाले, फिर कपड़े की थैली में लिए और सीलबन्द किए गए। डिब्बी में किसी प्रकार का कोई सैम्पल निकालने से यह गवाह इनकार करता है, जबकि ज्ञानेन्द्र सिंह ने लोहे की डिब्बी में ही सैम्पल निकालने की बात कही है। इस प्रकार सैम्पल किस प्रकार से सील किया गया, अभियुक्त मिला जब अटेची के ताला था अथवा नहीं, अटेची के ताला किसने खोला, मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर ज्ञानेन्द्रसिंह और गोपाल लाल के बयानो में भारी विभिन्नताएं हैं। साथ में प्रदर्श डी.1 और जो इतिला दी और गोपाल लाल के बयानो में भारी विभिन्नताएं आई है।

पी.ड.4 गोपाल सिंह, जो थाने से साथ रवाना हुआ है, यह भी ज्ञानेन्द्रसिंह के साथ मौके पर गया और अभियुक्त का नाम पता थानेदार ने पूछा और तलाशी व बरामदगी के सम्बन्ध में बयान दिए। इस गवाह को यह पता नहीं कि सैम्पल लोहे की डिब्बी में लिए या प्लास्टिक के डिब्बी में लिए। इसका यह भी कथन है कि टेलीफोन ज्ञानेन्द्रसिंह ने सुना था। प्रदर्श डी.1 सूचना उसके स्वयं की कलमी है जो ज्ञानेन्द्रसिंह ने लिखी थी। इस बात से इनकार करता है कि फोन पर गोपाल लाल ने मुल्जिम का नाम नहीं बताया हो। इस प्रकार मुल्जिम का नाम बताना यह स्वयं प्रदर्श डी.1 में लिखना स्वीकार करता है। इसके अनुसार सैम्पल गोपाल लाल ने निकाले, बयान दिया गया है, जबकि ज्ञानेन्द्रसिंह के द्वारा यह कथन किया गया है कि सैम्पल उसके द्वारा निकाले गए हैं। ताले के सम्बन्ध में इसका

यह बयान रहा कि एक एरीस्टोकेट अटेची की ज्ञानेन्द्रसिंह ने तलाशी ली, जिसके लोक खराब हो रहे थे, जिसे खोलने पर अटेची में थैली मिली। इस प्रकार लोक खराब हो रहे थे, बिलकुल नई कहानी लेकर गोपालसिंह आया है और सीलिंग के सम्बन्ध में इसके द्वारा बिलकुल नई बात बताई गई है। इसने इस बात से इनकारी की है कि यह प्लास्टिक की थैलियों में निकाले हों और कपड़े की थैली में सीलबन्द किए हों।

उपरोक्त विवेचन से, उपरोक्त तीनों ही गवाहों के बयानो में और गोपाल लाल ने अव्वल में क्या सूचना पुलिस को दी, उसके सम्बन्ध में और प्रदर्श डी.1 में भारी विरोधाभास आए हैं। अभियुक्त की तलाशी लेने पर अटेची को किस प्रकार से खोला गया, इस सम्बन्ध में तीनों ही गवाहों के बयानो में भारी विरोधाभास आए। माल किसने निकाला, किसने सीलबन्द किया और किस प्रकार से सीलबन्द किया, इन सभी मेटीरियल बिन्दुओं पर इन तीनों ही गवाहों के बयानो में भारी विरोधाभास हैं। उपरोक्त विरोधाभास को देखने से और फर्द बरामदगी में ताला खोलकर अटेची खोलने का तथ्य लिखा हुआ नहीं है। गोपाल लाल थानेदार द्वारा खोलना कहता है और ज्ञानेन्द्रसिंह ने स्पष्ट रूप से ताला खोलने से इनकारी की है और गोपालसिंह अटेची का ताला खराब होना बयानी करता है। ये सभी प्रश्न जब प्रकरण में गहराई में जावें तो जहां स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करें और मात्र पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के ही बयान हों, तो उन बयानो पर विश्वास किया जा सकता है, इसमें कोई कानूनी रूकावट नहीं हैं, मगर इनके बयान विश्वसनीय होने चाहिए। जिरह में तीनों गवाहों के बयानों को तोलने पर

इनके बयानो में मैं विश्वसनीयता में कमी पाता हूं।

उपरोक्त स्थिति को देखने के बाद अब हम अभियुक्त के स्वयं के बयानो पर आते हैं। अभियुक्त ने आरम्भ से ही जिरह में गवाह से पूछा है कि उसे बस से उतारा गया, झूंठा फंसाया गया है, अटेची उसके पास नहीं थी और यही तथ्य उसने अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो में बताए और डी.ड.1 प्रहलाद राय खींचड, कंडक्टर को पेश किया। उसका कथन है कि 1.5.2000 को झुंझुनू रोडवेज डिपो पर कंडक्टर तैनात था। रोडवेज बस आर जे 18 पी 932 में निम्बाहेडा से झुंझनू सवा तीन बजे दोपहर बाद रवाना हुआ और शाम पौने छः बजे भीलवाड़ा पहुंचे। वह हाजिर अदालत मुल्जिम को जानता है, नाम नहीं जानता है। उस दिन निम्बाहेडा से नवलगढ़ का बस टिकट उसने लिया था और वह बस में यात्रा कर रहा था और भीलवाड़ा आया था। बस में ऊपर केरियर जाली पर अनेक अटेचियें पड़ी थी। जब बस भीलवाड़ा से सवा छः बजे रवाना हुई तो पुलिस ने बस को रोका और पूरी बस की तलाशी ली। चौथी बार जब तलाशी ली फिर बस से पांच-छः आदमियों को उतारा। बस में दो नम्बर की सीट के ऊपर वाली केरियर जाली पर एक सलेटी रंग की अटेची पड़ी थी जो पुलिस ने पूछा था कि किसकी है। उक्त पांचों आदमियों ने अटेची अपनी नहीं होना बताया, जिनमें मुल्जिम हाजिर अदालत भी था। पुलिस ने उस अटेची को बस से नीचे उतारी। अटेची के ताला बन्द था, जो पुलिस ने तोड़ा और अटेची को खोला। चाबी मौके पर किसी के पास नहीं मिली। उसमें क्या निकला उसने नहीं देखा। पुलिस वाले अफीम होना बता रहे थे। फिर

मुल्जिम हाजिर अदालत को पुलिस वाले जीप में बैठा दिया और उक्त अटेची को अपने साथ ले गए। प्रदर्श डी.3 असल वे बिल है। टिकट काटा जो प्रदर्श डी.4 है। उसने 1.5.2000 को निम्बाहेड़ा से झुंझुनू उक्त बस से रवाना होना लिखाया है जो सहवन से लिखाया है, 30.4.2000 को रवाना हुआ था और प्रदर्श डी.3 में जो तारीख लिखी है वह सही है। प्रदर्श डी.4 टिकट की प्रथम प्रति है, दूसरी प्रति अभियुक्त को दी गई थी। यह टिकट बुकिंग से नहीं काटा गया था, उसके स्वयं के द्वारा काटा गया था क्योंकि निम्बाहेडा से नवलगढ़ का टिकट बुकिंग क्लर्क के पास नहीं था। कोई सीट नम्बर नहीं दिए थे क्योंकि बस खाली थी। बुकिंग क्लर्क ने जो प्रदर्श पी.20 डी.एस.ओ. दिया उसमें 11 सवारी का जिक्र अंकित है। अभियुक्त को उस दिन उसने पहली बार निम्बाहेड़ा में देखा था, पहले से नहीं जानता। मुल्जिम को इसलिए जानता है कि वह लम्बी दूरी का यात्री था। पुलिस ने लम्बी दूरी के यात्रियों के बारे में पूछा था। उस रोज लम्बी दूरी के कितने यात्री थे, आज बीस महिने होने से याद नहीं है। फिर कहा कि 10-1/2 यात्री थे, मगर उनको शक्ल से नहीं जानता। आधा घण्टे बस लेट होने का रिमार्क उसने वे बिल में नहीं लगाया न चीफ मैनेजर से पुलिस द्वारा चैक करने की रिपोर्ट की क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। प्रदर्श डी.4 टिकट मुल्जिम को ही जारी किया, यह उसे कैसे याद रहा, यह इसका कारण नहीं बता पाया है। निम्बाहेड़ा से नवलगढ़ का एक और यात्री था उसका क्या हुलिया था उसे ध्यान नहीं।

उपरोक्त जिरह के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस गवाह के बयान अविश्धसनीय पाया। मगर मेरी राय में, यह गवाह एक जन सेवक है

और बस में इस अभियुक्त का होना इसने पहचाना है और पुलिस द्वारा उसे शाम सवा छः बजे नीचे उतारना उसने बयान दिया है, जो 30 तारीख की सवा छः बजे ही उतारने की बात बयान की गई है। टिकट स्वयं इसके द्वारा ही काटना बताया गया है। इस प्रकार अन्य कौन व्यक्ति थे या अन्य यात्रियों के हुलिए उसे याद नहीं रहना प्राकृतिक हो सकता है। इस प्रकार प्रहलाद राय खींचड के बयानो को बिलकुल ही नहीं नकारा जा सकता और यदि प्रहलाद राय खींचड के बयानो के अनुसार सवा छः बजे पुलिस ने अभियुक्त को बस से उतार लिया था और एक अटेची भी उतारकर ले गए थे तो यह तमाम कार्यवाही रात 12 बजे के आसपास अभियुक्त का बस स्टेण्ड पर घुमना और 12.05 बजे उसे गोपाल लाल द्वारा रोकना और ज्ञानेन्द्र सिंह को सूचना देना और उसके बाद साढ़े बारह बजे उसकी तलाशी में यह अटेची जब्त करने की तमाम कहानी अभियोजन पक्ष की असत्य हो जाती है। अभियुक्त को मात्र एक सम्भाव्य केस ही देना होता है और सम्भाव्य साक्ष्य से अभियुक्त ने अपनी बरीयत न्यायालय के समक्ष रखी है। अभियुक्त को शक से परे बरीयत प्रमाणित नहीं करनी होती है और सम्भाव्य केस यदि अभियुक्त बताता है और अभियोजन पक्ष के केस में भारी विभिन्नताएं पाई जाती है और स्वतंत्र गवाह जब अभियोजन की ताईद नहीं करते हैं तो ऐसे प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा यदि एक संभाव्य बरीयत, जो बताई गई है, उसे एकदम नहीं नकारा जा सकता। जिस प्रकार कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों में कोई विरोधाभास को महत्वपूर्ण नहीं पाया और अभियुक्त के केस को और उसकी बरीयत को बिलकुल नकार दिया, यह साक्ष्य का मूल्यांकन मेरी राय में उचित नहीं था।

उपरोक्त विवेचन से, इस प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं की गई है, पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के बयानो में असंगतताएं पाई गई है, इन परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त द्वारा जो अपने बयान में उसे गलत रूप से फंसाया गया और प्रहलाद राय खींचड, जो बस का कंडक्टर है और जन सेवक है, को साक्ष्य में पेश किया और संभाव्य बरीयत दी है, यह स्वीकार किए जाने योग्य है। इस प्रकार मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इन तर्को से सहमति रखता हूं कि इस प्रकरण में अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से जिस प्रकार से बरामदगी अभियोजन पक्ष ने बताई है, वह शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

उपरोक्त सभी विवेचन से, यह अपील काबिल स्वीकार किए जाने है, जो स्वीकार की जाती है एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी दोषसिद्धि व दण्डादेश पारित किया है वह काबिल अपास्त के है, जो अपास्त किया जाता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। योग्य विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ मामलात, भीलवाड़ा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 18.12.01 अपास्त किया जाता है और अपीलाण्ट ओमप्रकाश को उसके विरूद्ध लगाए धारा 8/18 (बी) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधित अधिनियम, 2001 के आरोप में निर्दोष करार दिया जाकर बरी किया जाता है। यदि अपीलाण्ट की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जावे।

(न यायाधिपति कृष्णकुमार आचार्य)